न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2021

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1. भीखाराम वल्द मूलारामजी जाति कलबी निवासी भंवरिया तहसील रानीवाडा	1. अखाराम वल्द उमाराम 2. मोती वल्द सोना 3. काली पुत्री सोना जातियान कलबी निवासीयान भंवरिया तहसील रानीवाडा 4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक रानीवाडा 5. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैक रानीवाडा एंव धानोल 6. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वकील श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 6 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 25.11.2021

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में प्रार्थी के निजी स्वामित्व की खातेदारी कृषि भुमि खसरा नबंर 251 रकबा 1.45 हैक्टर तथा खसरा नबंर 252 रकबा 0.79 हैक्टर जुमले रकबा 2.24 हैक्टर की आयी हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त निर्बाध रूप से लगातार कई व वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धानोल खसरा नबंर 252 के दक्षिण दिशा में मौजा भंवरीया व धानोल गांव की सरहद पर खातेदारी खेत खसरा नबंर 44 रकबा 3.69 हैक्टर आया हुआ है। जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 अखाराम पुत्र उमाराम हिस्सा 449/738 जाति कलबी अप्रार्थी संख्या 2 मोती पुत्र सोना हिस्सा 2/123 जाति कलबी तथा स्वयं प्रार्थी के नाम 277/738 वां हिस्सा तथा काली पुत्री सोना कौम कलबी की खातेदारी का खेत आया हुआ है। मौके पर अलग–अलग बंट पर सभी खातेदारान की कब्जा अलग–अलग है।
2. प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खातेदार खेत मौजा धानोल खसरा नबंर 252 के दक्षिणी माठ पर स्थित सीमावर्ती खेत मौजा [illegible] के खातेदारी खेत खसरा नबंर 44 की उत्तर दिशा की माठ के [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं प्रार्थी के बीच चल रहा है। प्रार्थी के खेत मौजा धानोल व भंवरीया की माठ पर स्थित रहने से मौजा धानोल के खेत खसरा नबंर 252 एवं मौजा भंवरीया के खेत खसरा नबंर 44

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:40 IST
Reason: Self Attested

की उत्तरी लोर पर हमेशा माठ काटने एवं कब्जा व काश्त को लेकर प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 1 से 3 हमेशा लडाई टंटा फसाद एवं झगडा करते रहते है। माठ पर सीमावर्ती दो गांवों के क्षैत्रफल एवं रकबा के कब्जे का विवाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने जान बुझकर उत्पन्न कर दिया है। तथा माठ पर झाड, पेड–पौधे तथा माठ कायम नहीं करने देते है ना ही सीमाज्ञान करने देते है अवैध रूप से विधि विरूद्व तरीके से जबरन अवैध अतिक्रमण कर खसरा नबंर 252 की दक्षिणी माठ तोड कर जबरन प्रार्थी के खेत में अतिचार कर अवैध अतिक्रमण करने पर मौजा भंवरीया के खेत खसरा नबंर 44 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उतारू रहते है। विवादीत आराजी मौजा धानोल एवं भंवरीया गांव की सरहद पर तहसील रानीवाडा में स्थित होने से श्रीमान हाजा अदालत को प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

3. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि मौजा धानोल में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नबंर 251, 252 कुल रकबा 2.24 हैक्टर के दक्षिण दिशा में मौजा भंवरीया की सरहद पर स्थित अप्रार्थी 1 से 3 व अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान भुदरा,अचला पिसरान अखाजी के खातेदारी कब्जा शुदा खेत खसरा नबंर 44 रकबा 3. 69 हैक्टर आराजी की बीच की माढ तक स्थाई सीमाज्ञान कर स्थाई पत्थर गडढी कायम करने हेतु तहसीलदार भुमिधारी रानीवाडा को आदेश जारी कर सीमाज्ञान हेतु निर्धारित मानदण्ड एवं योग्यताधारी पटवारी व आर.आई. की कमेठी गठीत करवाकर तहसीलदार रानीवाडा के मार्ग दर्शन में स्थाई सीमाज्ञान कर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित कर मौके पर पत्थर की छीणें स्थाई सीमाचिन्ह दोनो गांवो की मीठ सरहद पर कायम करवाई जावें। तथा मौके पर तारबंदी कर प्रार्थी के खेत की दक्षिणी माठ पर स्थाई पत्थर गडढी करके प्रत्येक पत्थर पर अंक अंकित कर फर्द तैयार कर प्रार्थी के साथ न्याय करने सीमा का विवाद समाप्त करवाने का आदेश न्यायहित में फरमावें।
4. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 की ओर से वकील जवाब पेश किया गया।
5. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया गाय जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धानोल क खसरा नम्बर 251 रकबा 1.45 हेक्टेयर की आराजी प्रार्थी की कब्जा सुदा व स्वामित्व की है, जबकि खसरा नम्बर 252 रकबा 0.79 हेक्टेयर के संबंध में प्रार्थी को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं है। मौजा धानोल के खसरा नम्बर 252 तथा मौजा भंवरीया के खसरा नम्बर 44 रकबा 3.69 हेक्टेयर जो कि मौके पर एक चक में आये हुये हैं तथा उक्त दोनो खसरान के चारो ओर प्रार्थी संख्या 1 अखाराम की बाड़ की हुई हैं तथा रहवासी ढाणी तथा ट्युबवैल बना हुआ है, जिसमें परिवार सहित प्रार्थी रहवास करता है। उक्त खसरा नम्बर 252 तथा 44 के चारों और थोर की बाड़ की हुई हैं तथा रहवासी ढाणी तथा टयुबवैल बना हुआ हैं, जिसमें परिवार सहित प्रार्थी रहवास करता है। उक्त खसरा नम्बर 252 तथा 44 के चारों ओर थोर की बाड़ की हुई है, जो करीब सौ वर्षो पुरानी हैं। खसरा नम्बर 252 व 44 के बीच किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद स्थित हैं। प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जासुदा व स्वामित्व सुदा आराजी खसरा नम्बर 252 मौजा धानोल को हड़प करना चाहते है, इसलिये यह पत्थर गड्डी का प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के चलते किया है, जो प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। मौके पर किसी भी प्रकार से दो गांवों की सीमा का विवाद नहीं है। उक्त पत्थर गड्ढी करवाने का आवश्यकता क्यों पडी उसका कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:40 IST
Reason: SelfAttested

ठोस कारण व सबूत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया होने से मय खर्चा खारीज फरमावें।

6. अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खसरा नबंर 251 रकबा 1.45 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.79 हेक्टेयर में भीखाराम पुत्र मूलाराम कौम कलबी की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 44 रकबा 3.69 हेक्टेयर ग्राम भंवरिया में अखाराम पुत्र उमाराम ,भीखाराम पुत्र मूलाराम, मोतीराम पुत्र सोनाराम कौम कलबी की खातेदारी दर्ज है। बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रार्थी ने अपने खेत की माठ पर विवाद व अवैधानिक रूप से अतिक्रमण दर्शाया गया है जो वादी से संबंधित है। तहसील हाजा के आदेश क्रमांक/2020/43 दिनांक 24.06.2020 की पालना में 30.06. 2020 को पटवारी हल्का व मौतबरानों के समक्ष विवाद की स्थिति में सीमाकंन नहीं किया गया था। अतः बिन्दु संख्या 4 स्वीकार योग्य है।

7. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थीगण के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.06.2020 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी विवाद की स्थिति होना स्वीकार किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी पडौसी खातेदार पैमाईश नहीं करवाना चाहते है। व मौके पर विवाद की स्थिति की संभावना होने से पैमाईश नहीं की गई, अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 251, 252 व 44 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद धानोल पटवारी मण्डल धानोल के खसरा नम्बर 251, 252 रकबा क्रमश 1.45 ,0.79 हैक्टेयर व मौजा भंवरिया के खसरा नम्बर 44 रकबा 3.69 के मध्य माठ की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर